classmate
Date ______
Page ______

DATE: 03/10/2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POL. SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 10 (GOVERNOR)
LECTURE NO.-02

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राज्यपालों का वेतन एवं भत्ते

राज्यपाल को 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रु०) प्रतिमाह वेतन मिलता है तथा वह ऐसे भत्ते का भी हकदार है, जिसे संसद द्वारा नियत किया जाता है।

जब राज्यपाल अपने सामान्य कार्यकाल (पाँच वर्ष) की समाप्ति के बाद भी पद पर बना रहता है, तब वह प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद पर रहता है। जैसे- हरियाणा के राज्यपाल बी० एन० चक्रवर्ती अपनी कार्यकाल के समापन के बाद उत्तराधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण 3 (तीन) वर्ष तक प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद पर बने रहे थे।

यदि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे।

राज्यपाल को बिना किराया का सरकारी आवास भी मिलता है।

Scanned with CamScanner

classmate
Date ______
Page ______

स्मृ: राज्यपाल के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होने के कारण 'मत-निरपेक्ष' (Non-Votable) है।

राज्यपाल के वेतन व भत्ते में उसके कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किये जाने का संवैधानिक प्रावधान है।

राज्यपालों का स्थानान्तरण :-

राज्यपालों का स्थानान्तरण सम्बंधी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी स्थानान्तरण किया जाता रहा है अब तो यह परंपरा बन गई है।

राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ व विशेषाधिकार :-

राज्यपाल को निम्नलिखित उन्मुक्तियाँ व विशेषाधिकार प्राप्त हैं —

(i) वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

(ii) राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती है।

(iii) जब वह पद पर आसीन हो, तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

Next —

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

क्रमशः (IV) राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या के बाद उसके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किए गए कार्य के सम्बंध में कोई सिविल कार्यवाही करने के पहले उसे दो माह पूर्व सूचना देनी आवश्यक है।

सम्भावित प्रश्न :

(1) राज्यपालों के वेतन किस निधि से दिए जाने का प्रावधान है?

(2) राज्यपालों के उन्मुक्तियाँ एवं विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए।

× × × ×

Scanned with CamScanner